

सिख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहका
हुक्म व
में ज

25/11/2023

पत्रावली पेशा दुर्ग। वकील वादी उप।
दावा वादी गण पत्रक हस्तावेजात एवं
रिकॉर्ड के अभाव में एवं वादी गण के
पिता के जीवन काल में पुत्रों की
खासगरी अधिकार नहीं दिए जा
सकते हैं। शत वाद वादी सिद्ध न
होने के कारण कुाबिल खारिजी
के हैं। वादी गण का वाद-पत्र सिद्ध
न होने के कारण खारिज किया
किया जा जाता है।

पत्रां पुसल शुमार होकर
नम्बर ले रुम की जाकर बाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

